



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072020-220313
CG-DL-E-01072020-220313

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]
No. 242]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2020/आषाढ 10, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2020/ASADHA 10, 1942

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

सं. एल-7/105(121)/2007—केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 (इसमें इसके पश्चात् “संशोधन विनियम”) के विनियम 1 के उप-विनियम 1.2 के अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि संशोधन विनियम दिनांक 01 जून, 2020 को प्रभावी होंगे या ऐसी किसी अन्य तारीख को जो भी आयोग द्वारा अधिसूचित की जाए।

सनोज कुमार झा, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./99/2020-21]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2020

No. L-7/105(121)/2007-CERC.—In pursuance of the Sub-Regulation 1.2 of Regulation 1 of the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Sixth Amendment) Regulations, 2019 (hereinafter “Amendment Regulations”), it is notified that the Amendment Regulations shall come into force with effect from 1st June, 2020 or such other date as may be notified by the Commission.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.
[ADVT. III/4/Ext./99/2020-21]